कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़

वाणिज्यिक कर–जी.एस.टी. भवन, प्रथम तल, नॉर्थ ब्लॉक,
सैक्टर–19 अटल नगर, नवा रायपुर

पृ.क्रमांक / आब. / अपराध / 2026 / नवा रायपुर दिनांक **अगस्त, 2026**

प्रति,

विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्यिक–कर (आब.) विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

विषयः– **अरकार की शराब धमतरी में जब्त किये जाने के संबंध में।**

संदर्भः– 1. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला–बालोद का पत्र कमांक 2246 30.07.2026

2. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला–धमतरी के पत्र कमांक / आब. / अप. / 2026 / 1004 दिनांक 30.07.2026

––000––

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए।

उपरोक्तानुसार लेख है कि, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला–बालोद का पत्र कमांक / आब. / अप. / 2026 / 2246 दिनांक 30.07.2026 एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला–धमतरी के पत्र कमांक / आब. / अप. / 2026 / 1004 दिनांक 30.07.2026 के प्रतिवेदन अनुसार थाना अर्जुनी जिला धमतरी के द्वारा दिनांक 25.07.2026 को 53 पेटी अवैध देशी एवं विदेशी मदिरा जप्त की गई। उक्त जप्तशुदा मदिरा के स्त्रोत के संबंध में विवेचना करने पर जप्तशुदा पेटियों से प्राप्त शिशियो में लगे होलोग्राम की संख्या की जांच करने पर मदिरा का विकय देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अरकार, जिला–बालोद के द्वारा किया जाना पाया गया। इस प्रकार उक्त मदिरा को निर्धारित विकय सीमा से अधिक मात्रा में, थोक में विकय किया जाना पाया गया ।

जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अरकार जिला बालोद के प्रभारी सह मण्डल प्रभारी श्रीमती निलोफर जैन, सहायक जिला आबकारी अधिकारी है। जो कि उनके शिथिल नियंत्रण, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।

श्रीमती निलोफर जैन, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी होने के कारण इस प्रकरण में यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

Digitally signed by
Padum Singh Alma
Date: 05-08-2026
18:29:19

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ